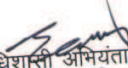


क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण एवं रजर्व वनभूमि घोषित करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित 4.340 है० भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 8.680 है० भूमि ग्राम बदियाकोट की सिविल बेनाप खाता सं० 9(3)ख(1) बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। ग्राम बदियाकोट की सिविल बेनाप भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण करने की कार्यवाही वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कर दी जायेगी।


सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट


अधिशाली अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
निर्माण खंड, लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)